न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 57 / 2021

1. जयदेवसिंह पुत्र श्री देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट उम्र 44 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सहदेवसिंह पुत्र श्री देवेन्द्र पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. देवेन्द्र पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. विजयसिंह पुत्र श्री देवेन्द्र पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. रायसिंह पुत्र श्री देवेन्द्र पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 बाबत घोशणा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14/02/2022

यह वाद वादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया । वाद में वादी व प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वही है जो वाद के शीर्षक में अंकित किया गया है। वादी का सजरा खानदान वाद में पेश किया गया है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जेठाराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट निवासी हीरांवाली तहसील फाजिल्का ने दिनांक 26.10.56 को गोविन्दराम पुत्र श्री किशन जाति जाट व मनीराम वल्द रामू जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील सूरतगढ़ से उनकी मोरूसी खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम रामपुरा खसरा नम्बर 308 तादादी 51 बीघा 10 बिस्वा खरीद करने का इकरारनामा किया। इकरारनामा के मुख्य अंश निम्न प्रकार है कि हमने अपनी मौजा रामपुरा की मोरूसी खसरा नं. 308 तादादी 51 बीघा 10 बिस्वा नाली की जो अब फारम में आ चुकी है, वह जमीन हमने अभी तक किसी गांव हीरावाली तहसील फाजिल्का के द्वारा नरेन्द्र व देवेन्द्र पिसरान जेठाराम को 310/–रू अखरे तीन सौ दस फी बीघा के हिसाब देनी की है। जिसकी रजिस्ट्री हम तारीख 15.11.056 तक करा देगें। फोटो कोपी इकरारनामा शामिल वाद है। यह कि मुताबिक इकरारनामा विक्रेतागण गोविन्दराम पुत्र श्री किशन जाति जाट व मनीराम वल्द रामू जाति जाट साकिन रामपुरा तहसील सूरतगढ़ ने इकरारनामा विक्रय पत्र करवाने निश्चित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:12 IST
Reason: SelfAttested

14/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिनांक 15.11.56 से पूर्व ही दिनांक 09.11.56 को इसका विक्रय पत्र मुताबिका इकरारनामा बहिस्सा बराबर क्रेतागगण नरेन्द्र व देवेन्द्र के पिता जेठाराम से नगद राशि प्राप्त कर उप पंजीयक सूरतगढ़ करवा दिया। विक्रय पत्र विक्रेता द्वारा अपनी आराजी नम्बर खसरा 308 तादादी 51 बीघा 9 बिस्वा बिलमुक्ता 15949.50 रूपये में बहक श्री नरेन्द्र व श्री देवेन्द्र पिसरान जेठाराम कोम जाट साकिन हीरांवाली तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर को बहिस्सा बैय व फरोख्त किया।

यह कि वादीगण के दादा द्वारा जब उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी, उस समय प्रतिवादी संख्या 1 बउम्र 6 वर्ष नाबालिग था और उसकी आय का कोई स्त्रोत नहीं था। इसलिए जेठाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद शुदा उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिन्दू कानून के अनुसार है।

यह कि चूकि उपरोक्त कृषि भूमि बरवक्त खरीद खसरों पर थी। जेठाराम के देहान्त के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाई नरेन्द्र जिनके नाम से जेठाराम ने बहिस्सा बराबर 51 बीघा 9 बिस्वा भूमि खरीद की थी का आपसी घराघरू बंटवारा हो गया और उसी अनुसार काश्त करने लगे। किलाबन्दी फिटिंग में उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 36 एसटीजी–ए पत्थर नम्बर 7/352 मुरब्बा नम्बर 25 कि.नं. 1/2, 10/2 की 0.177 एवं प.नं. 8/352 मु.नं. 26 किला नम्बर 1 ता 22, 23/1, 23/2, 24, 25 कुल 6.325 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 6.502 हैक्टेयर जिसमें से 6.187 हैक्टेयर नाली प्रथम व 0.125 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता व 0.0130 हैक्टेयर मु.मु. कुआं सिंचाई दर्ज कागजात पटवार माल है, जिसकी जमाबन्दी शामिल वाद की गई है।

उपरोक्त कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र में अंकित किया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जब वह नाबालिग मात्र 6 साल का था, तब वादीगण के दादा जेठाराम ने अपनी राशि से क्रय की गई थी। इसलिए यह पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार है। यानि प्रत्येक का 1.1004 हैक्टेयर हिस्सा विरासतन बनता है। इसलिए वादीगण यह घोषणा करवाने के अधिकारी है कि उपरोक्त प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उसके पिता जेठाराम द्वारा उसकी नाबालगीयत अवस्था में अपने पैसों से खरीद किये जाने के कारण पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिन्दूर कानून के अनुसार है। उरोक्त कृषि भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से होते हुए भी उपरोक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चली आ रही है।

यह कि प्रतिवादी संख्या [illegible] 3 के नाजायज दवाब में है और येन केन प्रकरेन उपरोक्त भूमि में वादी[illegible] के [illegible]ानूनी हक व हिस्सा समाप्त करने की नियत से प्रतिवादी संख्या [illegible] चाहता है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा कोई विधिक अधिकार [illegible] नहीं होता है कि वह पैतृक सम्पत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:39:12 IST
Reason: SelfAttested

14/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जिसमें वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा है, को वादीगण का हक मारने की नीयत से प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के नाम से लगवाये। इसी गर्ज से करीब एक सप्ताह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का बहिस्सा बराबर हक स्वीकार करने और उसी अनुसार उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्ट इन्कार हो गया। यही वाद का कारण है।

यह कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना भी है जिसकी पूर्ति हर्जाना से नहीं आंकि जा सकती है हालांकि वादीगण की कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के साथ हिस्सानुसार चली आ रही है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी 1 निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जाये और घोषित किया जावे की प्रश्नगत कृषि भूमि चक नम्बर 36 एसटीजी–ए पत्थर नम्बर 7/352 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 1/2, 10/2 की 0.177 हैक्टेयर व प.नं. 8/352 मु.नं. 26 कि.नं. 1 ता 22, 23/1, 23/2, 24, 25 कुल 6.325 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 6.502 हैक्टेयर जिसमें से 6.187 हैक्टेयर नाली प्रथम व 0.125 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता व 0.0130 हैक्टेयर मु.मु. कुआं सिंचाई वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 20.10.2021 को वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये दस्तावेज व जरिए अधिवक्ता की गयी। उभय पक्ष के पक्षकारान की पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.10.2021 को स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य हेतु समय दिया गया। वकील वादी ने दिनांक 14.2.2022 को मिसल पेशी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में साक्ष्य व बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र मिसल पेशी स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर. आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–[illegible]) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के आधार पर कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:12 IST
Reason: SelfAttested

14/03/2022
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की भूमि है जो जद्दी जायदाद साबित होती है। पैतृक सम्पत्ति साबित होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से प्रेरित होते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के कृषि भूमि चक नम्बर 36 एसटीजी–ए पत्थर नम्बर 7/352 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 1/2, 10/2 की 0.177 हैक्टेयर व प.नं. 8/352 मु.नं. 26 कि.नं. 1 ता 22, 23/1, 23/2, 24, 25 कुल 6.325 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 6.502 हैक्टेयर जिसमें से 6.187 हैक्टेयर नाली प्रथम व 0.125 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता व 0.0130 हैक्टेयर मु.मु. कुआं सिंचाई वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

14/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:12 IST
Reason: SelfAttested